आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंड

(10 जून, 2014 तक)

बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते की अनुसूची के रूप में शामिल निगम की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, संक्षेप में, निगम द्वारा पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण मानदंड देती हैं। हालाँकि, आरईसी द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों का विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, विवेकपूर्ण मानदंड तैयार किए गए हैं और उनका वर्णन यहां किया गया है। ये विवेकपूर्ण मानदंड आम तौर पर समय-समय पर संशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 1998 के माध्यम से एनबीएफसी के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आधारित होते हैं, और जब तक बदला नहीं जाता तब तक वही भाषा बरकरार रखी जाती है।

1. ये आरईसी विवेकपूर्ण मानदंड 01 अप्रैल, 2007 से लागू होंगे, 'क्रेडिट/निवेश की एकाग्रता' के मानदंडों को छोड़कर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन मानदंडों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "ब्रेक अप वैल्यू" का अर्थ है अमूर्त परिसंपत्ति और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व द्वारा कम की गई इक्विटी पूंजी और भंडार, जिसे निवेशित कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है;

(ii) "वहन लागत" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर अर्जित ब्याज, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ;

(iii) "चालू निवेश" का अर्थ एक ऐसा निवेश है जो अपनी प्रकृति से आसानी से वसूली योग्य है और उस तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक रखने का इरादा नहीं है जिस दिन ऐसा निवेश किया जाता है;

(iv) "संदिग्ध परिसंपत्ति" का अर्थ है

(क) एक सावधि ऋण, या

(ख) एक पट्टा परिसंपत्ति, या

(ग) एक किराया खरीद परिसंपत्ति, या

(घ) कोई अन्य परिसंपत्ति,

जो 18 माह से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रहे;

(V) "अर्निंग वैल्यू" का अर्थ है किसी इक्विटी शेयर का मूल्य, जो कर के बाद लाभ का औसत लेकर गणना की जाती है, जिसे वरीयता लाभांश से घटाकर और असाधारण और गैर-आवर्ती वस्तुओं के लिए समायोजित किया जाता है, तुरंत पिछले तीन वर्षों के लिए और आगे की संख्या से विभाजित किया जाता है। निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या और निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया जाता है

(क) मुख्य रूप से विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत;

(ख) मुख्य रूप से व्यापारिक कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(ग) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी घाटे में चलने वाली कंपनी है, तो कमाई का मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(vi) “"उचित मूल्य" का अर्थ कमाई मूल्य और ब्रेक अप मूल्य का माध्य है;

(vii) "हाइब्रिड ऋण" का अर्थ पूंजी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इक्विटी के साथ-साथ ऋण की भी कुछ विशेषताएं होती हैं;

(viiए) इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण' का अर्थ है आरईसी द्वारा एक उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा, सावधि ऋणके माध्यम से, परियोजना वित्त पैकेज के एक हिस्से के रूप में अधिग्रहित परियोजना कंपनी में बॉण्ड/डिबेंचर/वरीयता शेयरों/इक्विटी शेयरों के लिए परियोजना ऋण सदस्यता जैसे कि सदस्यता राशि "अग्रिम की प्रकृति में" या उधारकर्ता कंपनी को प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक वित्त पोषित सुविधा के किसी अन्य रूप में होगी:

? विकासशील या

? संचालन और रखरखाव, या

? किसी भी बुनियादी सुविधा सुविधा का विकास, संचालन और रखरखाव जो एक परियोजना है

(क)बिजली का उत्पादन या उत्पादन और वितरण;

(ख) नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर बिजली का पारेषण या वितरण;

(ग) समान प्रकृति की कोई अन्य बुनियादी सुविधा।

(viiबी) "संयुक्त क्षेत्र उधारकर्ता" एक इकाई होगी जिसके संबंध में कम से कम 26% की इक्विटी शेयर पूंजी केंद्रीय / राज्य सरकार / केंद्र सरकार पीएसयू / राज्य सरकार पीएसयू द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ रखी गई है या सदस्यता लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

(viii) "हानि परिसंपत्ति" का अर्थ है -

(क) एक परिसंपत्ति जिसे आरईसी द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में पहचाना गया है, उस सीमा तक कि इसे आरईसी द्वारा बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, या परिसंपत्ति संदिग्ध बनी हुई है 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जो भी पहले हो;

(ख) एक परिसंपत्ति जो सुरक्षा के मूल्य में गिरावट या सुरक्षा की अनुपलब्धता या उधारकर्ता कीओर से किसी धोखाधड़ी वाले कार्य या चूक के कारण गैर-वसूली के संभावित खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है;

(ix) "दीर्घकालिक निवेश" का अर्थ वर्तमान निवेश के अलावा कोई अन्य निवेश है;

(x) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ उस विशेष योजना के संबंध में संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा नवीनतम घोषित निवल संपत्ति मूल्य है;

(xi) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है

(क) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेय और प्राप्य भविष्य की किस्तों का कुल योग अपरिपक्व वित्त शुल्क के शेष से कम हो जाता है और इन मानदंडों के पैराग्राफ 8(2)(i) के अनुसार किए गए प्रावधानों से और कम हो जाता है;

(ख) पट्टे पर दी गई संपत्ति के मामले में, अतिदेय पट्टा किराये के पूंजीगत हिस्से का योग प्राप्य के रूप में गिना जाता है और पट्टा परिसंपत्ति के मूल्यह्रास बुक मूल्य को पट्टा समायोजन खाते के शेष द्वारा समायोजित किया जाता है।

(xii) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (इन मानदंडों में "एनपीए" के रूप में संदर्भित) का अर्थ है:

ऐसी परिसंपत्ति जिसके संबंध में ब्याज छह महीने या उससे अधिक की अवधि से अतिदेय है;

(क) अवैतनिक ब्याज सहित एक सावधि ऋण, जब किस्त छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो या जिस पर ब्याज की राशि छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो;

(ख) एक मांग या कॉल ऋण, जो मांग या कॉल की तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा या जिस पर ब्याज राशि छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही;

(ग) एक बिल जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है;

(घ) ऋण के संबंध में ब्याज या अल्पावधि ऋण/अग्रिम की प्रकृति में 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत प्राप्तियों पर आय, जिसकी सुविधा छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही;

(ङ) परिसंपत्तियों की बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं या किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के कारण कोई भी बकाया, जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा;

(च) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो बारह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गई है;

(छ) ऋण, अग्रिम और अन्य क्रेडिट सुविधाओं (खरीदे गए और भुनाए गए बिलों सहित) के संबंध में, उपरोक्त ऋण सुविधाओं में से कोई भी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाने पर उसी उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया शेष (उपार्जित ब्याज सहित):

(xiii) "स्वामित्व वाली निधि" का अर्थ है भुगतान की गई इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त भंडार, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और परिसंपत्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का

प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजी भंडार4 को छोड़कर परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए भंडार, जैसा कि संचित हानि शेष, अमूर्त संपत्तियों के बुक मूल्य और स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, से कम किया गया है;

(xiv)

(क) "मानक संपत्ति" का अर्थ है

एक परिसंपत्ति जो खंड 2(1)(xii) में दिए गए विवरण के अनुसार एनपीए नहीं है और जिसके संबंध में मूलधन के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है और जो किसी भी समस्या का प्रकटीकरण नहीं करती है और न ही सामान्य जोखिम से अधिक है व्यवसाय या किसी मानक परिसंपत्ति से जुड़ा हुआ है जिसे नीचे परिभाषित किया गया है;

और

'डीम्ड स्टैंडर्ड एसेट' का अर्थ है

आरईसी को उसके अवैतनिक बकाए के भुगतान की कटौती के लिए राज्य सरकार के उपक्रम के लिए केंद्रीय योजना आवंटन से राज्य संस्थान को दी गई एक सुविधा।

(xv) "अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ है –

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(ख) एक परिसंपत्ति जहां ब्याज और / या मूलधन के संबंध में समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत या पुनर्निर्धारित या पुनर्गठित किया गया है, जब तक कि पुनर्निमित या पुनर्निर्धारित या पुनर्गठित शर्तों के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के एक वर्ष की समाप्ति नहीं हो जाती:

बशर्ते कि अवसंरचना ऋण का अवमानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण इन निर्देशों के पैराग्राफ 13बी के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(xvi) "अधीनस्थ ऋण" का अर्थ पूरी तरह से भुगतान किया गया पूंजीगत साधन है, जो असुरक्षित है और अन्य लेनदारों के दावों के अधीन है और प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त है और धारक के कहने पर या आरईसी के सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य नीचे दिए गए अनुसार छूट के अधीन होगा:

इन्स्ड्रुमेंट की शेष परिपक्वता	छूट की दर (%)
(क) 1 वर्ष तक	100%
(ख) 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष तक	80%
(ग) 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक	60%

(घ) 3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष तक 40%

(ङ) 4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक 20%

उस सीमा तक जहां तक ऐसा रियायती मूल्य टियर I पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

(xvii) "पर्याप्त ब्याज" का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी ब्याज रखना, चाहे अकेले या एक साथ लिया गया हो, जिस पर भुगतान की गई राशि कंपनी की भुगतान की गई पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो; या किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी;

(xviii "टियर- I पूंजी" का अर्थ है स्वामित्व वाली निधि जो अन्य एनबीएफसी के शेयरों और शेयरों, डिबेंचर, बॉण्ड, बकाया ऋण और अग्रिमों में किए गए निवेश से कम हो, जिसमें किराया खरीद और पट्टा वित्त शामिल है और एक ही समूह में सहायक कंपनियों और कंपनियों के साथ जमा राशि से अधिक हो। कुल मिलाकर, स्वामित्व निधि का दस प्रतिशत;

(xix) "टियर-II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) उन शेयरों के अलावा अन्य वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं;
(ख) पचपन प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्मूल्यांकन भंडार;
(ग) सामान्य प्रावधान और हानि भंडार उस सीमा तक, जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी या पहचान योग्य संभावित हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक अप्रत्याशित नुकसान को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं;
(घ) हाइब्रिड ऋण पूंजी इंस्ट्रूमेंट; और
(ङ) गौण कर्ज़

उस हद तक जब तक कुल टियर-I पूंजी से अधिक न हो जाए।

(2) अन्य शब्द या अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग यहां किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1998, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की स्वीकृति में परिभाषित हैं, जमा (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1998 या अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1987 का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम या उन निर्देशों के तहत समय-समय पर दिया गया है। कोई भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति जो उस अधिनियम या उन निर्देशों में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में दिया गया है।

3. **आय की पहचान**

(1) आय की पहचान मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है। वित्तीय खाते कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3सी) के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत पर संचय विधि के तहत गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय, जहां ब्याज / मूलधन दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया है, प्राप्त होने और विनियोजित होने पर मान्यता प्राप्त है।

जब तक अन्यथा सहमति न हो, उधारकर्ताओं से वसूली इस क्रम में विनियोजित की जाती है (i) आरईसी की लागत और व्यय (ii) ब्याज कर सहित दंडात्मक ब्याज, यदि कोई हो (iii) ब्याज कर सहित अतिदेय ब्याज, यदि कोई हो और (iv) पुनर्भुगतान मूलधन का, सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जा रहा है।

मानक ऋणों के संबंध में, जिनमें वे शर्तें शामिल हैं जिनकी शर्तों पर पुनर्निमित/पुनर्निर्धारित/पुनर्गठन किया गया है और मानक ऋण के रूप में बनाए रखा गया है, आय को संचय के आधार पर पहचाना जाता है।

ऋणों (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों) के संबंध में, आय को संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब यह उचित रूप से अपेक्षित होता है कि उधारकर्ताओं से देय राशि की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और पुनर्निमित या पुनर्निर्धारित या पुनर्गठित शर्तों के तहत संतोषजनक प्रदर्शन रहा है। पुनर्निमित या पुनर्निर्धारित अयस्क के तहत संतोषजनक प्रदर्शन की समाप्ति पुनर्गठित शर्तें।

(2) एनपीए पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह वास्तव में वसूल हो जाती है। परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त रहने से पहले पहचानी गई ऐसी किसी भी आय को वापस कर दिया जाता है।

(3) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां किश्तें 12 महीने से अधिक समय से अतिदेय हैं, आय केवल तभी पहचानी जाएगी जब किराया शुल्क वास्तव में प्राप्त हो। परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त रहने से पहले लाभ और हानि खाते के क्रेडिट में ली गई ऐसी कोई भी आय वापस कर दी जाएगी।

(4) पट्टा परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां पट्टा किराया 12 महीने से अधिक समय से अतिदेय है, आय केवल तभी मानी जाएगी जब पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो। परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त रहने से पहले लाभ और हानि खाते के क्रेडिट में लिया गया शुद्ध पट्टा किराया वापस कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, 'नेट लीज रेंटल' का मतलब सकल पट्टा किराया है, जिसे लीज समायोजन खाते द्वारा समायोजित किया जाता है, जिसे लाभ और हानि खाते में डेबिट/जमा किया जाता है और कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के तहत लागू दर पर मूल्यह्रास द्वारा घटाया जाता है।

4. निवेश से आय

(1) आरईसी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय को संचय के आधार पर ध्यान में रखा जाएगा।

2) कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्ड और डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों/बॉण्ड्स से आय को संचय के आधार पर ध्यान में रखा जाएगा:

बशर्ते कि इन उपकरणों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज नियमित रूप से चुकाया गया हो और बकाया न हो।

3) कॉर्पोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, ब्याज का भुगतान और मूलधन का पुनर्भुगतान केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई है, इसे प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाएगा।

5. **लेखांकन मानक**

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स का पालन किया जाता है।

6. **निवेश का लेखा-जोखा**

(1) (क) कंपनी निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई निवेश नीति का पालन करती है;

(ख) निवेश को वर्तमान और दीर्घकालिक निवेश में वर्गीकृत करने के मानदंड कंपनी के बोर्ड द्वारा निवेश नीति में बताए जाएंगे;

(ग) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में निवेश को वर्तमान और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-वर्ग स्थानांतरण नहीं होगा;

(ii) अंतर-वर्ग स्थानांतरण, यदि आवश्यक हो, निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ प्रत्येक छमाही की शुरुआत में, 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को ही प्रभावी किया जाएगा;

(iii) निवेश को शेयर-वार, वर्तमान से दीर्घकालिक या इसके विपरीत, बुक वैल्यू या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर स्थानांतरित किया जाएगा;

(iv) प्रत्येक शेयर में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, पूरी तरह से प्रदान किया जाएगा और मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा;

(v) ऐसे अंतर-वर्ग हस्तांतरण के समय, एक शेयर में मूल्यह्रास को दूसरे शेयर में मूल्यह्रास के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा, यहां तक कि उसी श्रेणी के शेयरों के संबंध में भी नहीं।

(2) मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, उद्धृत वर्तमान निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहीकृत किया जाएगा, अर्थात,

(क) सामान्य शेयर,

(ख) प्रक्रिया के कर्ता-धर्ता,

(ग) डिबेंचर और बॉण्ड,

(घ) ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ,

(ङ) म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ, और

(च) अन्य

प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक श्रेणी में निवेश को शेयर-वार माना जाएगा और प्रत्येक श्रेणी में सभी निवेशों के लिए लागत और बाजार मूल्य को एकत्रित किया जाएगा। यदि श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए कुल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में प्रदान किया जाएगा या चार्ज किया जाएगा। यदि श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य श्रेणी के लिए कुल लागत से अधिक है, तो निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। निवेश की एक श्रेणी में मूल्यह्रास को दूसरी श्रेणी में मूल्यह्रास के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) चालू निवेश की प्रकृति में गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत या ब्रेक अप मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो आरईसी शेयरों के ब्रेक अप मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य का विकल्प चुन सकता है। जहां निवेशित कंपनी की बैलेंस शीट दो साल तक उपलब्ध नहीं है, ऐसे शेयरों का मूल्य केवल एक रुपये होगा।

(4) चालू निवेश की प्रकृति में उद्धृत न किए गए वरीयता शेयरों का मूल्य लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

5) गैर-उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीशुदा बॉण्ड में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) चालू निवेश की प्रकृति में म्यूचुअल फंड की इकाइयों में गैर-उद्धृत निवेश का मूल्य प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य वहन लागत पर किया जाएगा

(8) दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणी: गैर-उद्धृत डिबेंचर को आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से ऐसे डिबेंचर के कार्यकाल के आधार पर सावधि ऋण या अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा।

7. परिसंपत्ति वर्गीकरण

(1) आरईसी, अच्छी तरह से परिभाषित ऋण कमजोरियों की डिग्री और वसूली के लिए संपार्श्विक सुरक्षा पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपनी पट्टा/किराया खरीद संपत्तियों, ऋण और अग्रिम और ऋण के किसी भी अन्य रूप को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात -

(i) मानक परिसंपत्ति;

(ii) अवमानक परिसंपत्ति;

(iii) संदिग्ध परिसंपत्ति; और

(iv) परिसंपत्ति का नुकसान

(2) ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों का वर्ग केवल पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह उन्नयन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(3) मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए, सुविधाओं को निम्नलिखित अपवाद के साथ उधारकर्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग-अलग पहचाने जाने योग्य हैं और एक ही परियोजना पर लागू होते हैं, आरईसी ऐसे ऋणों को परियोजना के आधार पर वर्गीकृत करेगा।

अनुवाद किया जा रहा है।